स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया** ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 का समेकित तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों व अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

   ए. बैंक का लेखा-परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण;

   बी. 2 देशी सहायक, 1 देशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहायक), 1 विदेशी सहायक एवं 1 विदेशी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

   सी. 2 सहायक एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण.

   बैंक के साथ उपरोक्त इकायों को "समूह" के रूप मे संदर्भित किया जाना है.

   हमारी राय व सर्वोतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों एवं सहयोगियों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी एवं अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप है और उसमें निम्न समाहित है -

   ए. यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की दशा में समेकित तुलन पत्र के मामले में सही व निष्पक्ष;

   बी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के मामले में लाभ की वास्तविक राशि; एवं

   सी. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में नकदी प्रवाह का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाया गया है.

अभिमत का आधार :

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीटयूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं. हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता एवं हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए नैतिक आवश्यकताओं सहित, प्रासंगिक समूह बैंक से स्वतंत्र हैं एवं हमने अपनी इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता सहित अन्य नैतिक जिम्मेदारियों के अनुसार पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

मामलों का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान अनुसूची 18 के नोट संख्या 17 की ओर आकर्षित करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स, जो बताता है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों/अनुमानों में पिछले वित्त वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त की तुलना में परिवर्तन हुआ है और यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है. गैर-निष्पादित खातों में वसूली के विनियोग के संबंध में, पहले अप्राप्त ब्याज के लिए और फिर मूलधन के प्रति बकाया मूलधन के लिए और फिर पहले की अवधि में अप्राप्त ब्याज की और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव तिमाही के लिए आय में ₹ 495.26 करोड़ की वृद्धि हुई है और वर्ष के लिए ₹ 1081.77 करोड़ की वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में समतुल्य राशि में कमी आई है.

हम आपका ध्यान **अनुसूची 18 के नोट संख्या 9** की ओर आकर्षित करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए खातों पर नोट्स, जो पारिवारिक पेंशन में ₹ 1902.02 करोड़ की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन का वर्णन करता है. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में ₹380.40 करोड़ की राशि का शुल्क लगाया है और ₹1521.62 करोड़ के शेष असंशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है.

हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 16 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं- समेकित वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट्स जो कोविड-19 महामारी के फैलने से अनिश्चितता का वर्णन करते हैं. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर है, जिसमें उस ओर अन्य नियामक उपायों को कम करने के लिए की जा रही कार्रवाई शामिल है.

हमारा अभिमत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

मुख्य लेखा परीक्षा मामले :

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे. इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में बताया गया था, और उसके बाद हमारा अभिमत बनाने तथा इन मामलों पर हम एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं. हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
1	**विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा प्रावधान**	
	यथा 31 मार्च, 2022 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश जो है वह आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है एवं कुल आस्तियों का 85.01% है. नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों एवं अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार) द्वारा निर्धारित उद्देश्यात्मक मापदंडों पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान आधारित है. हमारे बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैन्युअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) पर अधिक निर्भर करता है. बैंक में आईआरएसी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है.	हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएसी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसके संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में तर्क एवं मान्यताओं पर नियंत्रण, एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आंकलन, ऋणों के संवितरण एवं निगरानी शामिल है. इनमें निम्नलिखित के मूल्यांकन और समझ शामिल हैं: • आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली. • गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैन्युअल नियंत्रण; • आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
		• अग्रिमों के मामलों में ऋण अनुमोदन के समग्र नियंत्रण, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया और निवेश के मामले में खरीददारी पर नियंत्रण, बिक्री तथा नियंत्रण में रखने की निर्णय प्रणाली • हमने ऋण/निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया. • हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहां कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है. • हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न और उनके कार्य पर विश्वास किया है. जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षा का उपयोग कर रहा है. • हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं तथा जो एक लेखा परीक्षक का कार्य करते हुए एसए 620 के अनुसार बैंक को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की है. • इसके अतिरिक्त हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है. • हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट के रिपोर्टों एवं उक्त हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है. • अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन. हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
2	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण**	
	कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, बैंक की वित्तीय लेखा अवधि एवं रिपोर्टिंग सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) के प्रभावी कार्यनिष्पादन पर एवं सीबीएस से जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे अन्य आईटी सिस्टम पर उच्च स्तरीय रूप से निर्भर है. लेनदेन की व्यापक मात्रा, विविधता एवं जटिलता को दैनिक रूप में संसाधित किया जाता है तथा वहां एक जोखिम है जो स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएँ तथा इससे संबंधित आंतरिक नियंत्रण सही ढंग से डिजाइन तथा प्रभावी रूप से संचालन नहीं हो सकते हैं. विशेष क्षेत्र का फोकस लॉजिक से संबंधित है, जो कि सिस्टम में डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, एसेस प्रबंधन तथा कर्तव्यों के पृथक्करण को भरा जाता है. ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन एवं डाटा उचित, अधिकृत, शोधित तथा जांचे गए हैं ताकि सिस्टम वास्तविक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/रिटर्न तथा अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सूचना जेनरेट कर सके जिसे वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु उपयोग किया जा सके. हमने निम्नलिखित के लिए सीबीएस एवं अन्य आईटी प्रणालियों के निरंतर एवं सटीक कामकाज पर विश्वास जताया है: • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं आय निर्धारण; • अग्रिम संविभाग पर प्रावधान; • विभिन्न वर्गों में अग्रिमों एवं देयता मदों की पहचान एवं इसकी परिपक्वता का स्वरूप • उचंत एवं विविध खातों, अवैयक्तिक खाता एवं पुराने तथा अंतर-शाखा शेष तथा अन्य ऐसे खातों का समाधान • निवेश लेनदेनों की रिकॉर्डिंग • जमा एवं अन्य देयताओं पर ब्याज व्यय;	हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में परीक्षण जांच के आधार पर सिस्टम से जेनरेट अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचना का सत्यापन कर आईटी प्रणाली के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है: • यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण जांच आधार पर हमारे सत्यापन में कमियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया है ; • क्षेत्रों में कर्मियों को देखा गया है कि मौलिक परीक्षण की तरह स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ; • अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, उचित परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण की तरह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया; • सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य पर विश्वास एवं शाखा लेखा के परीक्षण के आधार पर सुधारक प्रविष्टियाँ (एमओसी) पारित की गई; • बाह्य विक्रेता जांच रिपोर्ट, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, पर अभिमत • आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा एवं मुख्य आईटी कंट्रोल के अनुपालन के संबंध में आईटी विभाग से परिचर्चा.

क्र.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया
3	**आस्थगित कर की मान्यता और माप**	
	बैंक ने 31 मार्च, 2022 को ₹12,29,23,747 (`000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है. मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है. हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है. हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है. हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्य निष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है: • आय पर "करों के लिए लेखांकन" एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन. • एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया. • लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा.
4.	**कोविड-19 महामारी**	
	कोविड-19 महामारी ने देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत सरकार ने मार्च 2020 से लॉक डाउन की शृंखला की घोषणा की थी, जिसे मौजूदा स्थिति के आधार पर देश भर में संबंधित राज्य में क्षेत्रवार तरीके से समय-समय पर उठाया गया और फिर से लगाया गया. इसी के अनुरूप और आंशिक और पूर्ण लॉक डाउन के अनुरूप, हमने वर्ष के कुछ हिस्से के लिए यात्रा प्रतिबंधों का अनुभव किया और जहां कहीं भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक ने दूरस्थ रूप से ऑडिट करने की सुविधा प्रदान की. वर्ष के अंत तक यह स्थिति काफी हद तक कम हो गई और इसलिए वर्ष के अंत में भौतिक लेखापरीक्षा सबसे अधिक प्रचलित थी. इसलिए जहां कहीं भी हम व्यक्तिगत रूप से/ भौतिक रूप से/ शाखाओं/ क्षेत्रों और क्षेत्रों/ कार्यक्षेत्रों/ कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से ऑडिट साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है. तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूर से लेखापरीक्षा करने के लिए संशोधित किया गया था.	जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम से हमें आवश्यक रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेज/ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें बैंक के नामित ऑडिट पोर्टल, ईमेल और सीबीएस के लिए रिमोट एक्सेस और क्लोजिंग पैकेज शामिल थे. इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन्हें वर्तमान अवधि के लिए लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग के संचालन के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था. तदनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं (नियामक और आईसीएआई परामर्शों के आधार पर) को निम्नानुसार संशोधित किया: • बैंक की कुछ शाखाओं/ क्षेत्रों/ अंचलों/ वर्टिकल/ कॉर्पोरेट कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, रिमोट एक्सेस/ ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक रिकॉर्ड/ दस्तावेजों/ सीबीएस/ क्लोजिंग पैकेज और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन किया गया. • बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों, शाखाओं से रिटर्न और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया गया. • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संवाद और फोन कॉल/ कॉन्फ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से पूछताछ किया गया और आवश्यक ऑडिट साक्ष्य एकत्र किए गए. • नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने के बजाय हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान टेलीफोन/ ईमेल के माध्यम से किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचनाएं

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं. अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष की मुख्य बातें, परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय अनुपात, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट एवं कोर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं.

हमारे समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से परिवर्तनशील है या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा ही तात्विक रूप से गलत बयान की गई है.

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख से पहले, यदि हमारे कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य सूचनाओं में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो हमें इस बात को रिपोर्ट करना होगा. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है.

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं वे जो समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस द्वारा प्रभारित हैं:

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय परिणामों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह एवं अन्य वित्तीय जानकारी का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21- "समेकित वित्तीय विवरणों", लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन" एवं लेखा मानक 27- संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा नियमों के अनुरूप है एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं.

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम के प्रावधानों/बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं ताकि समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनिमियतताओं की पहचान एवं बचाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन बनाना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, से मुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वह कार्यशील क्षमता के रूप में बने रहे एवं लागू अनुरूप प्रकटीकरण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक निदेशक मंडल या तो समूह का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है.

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल एवं उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई, समूह एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेवार होंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समुचित तौर पर चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है एवं एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना है. तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गई लेखापरीक्षा

हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी. गलतबयानी धोखाधड़ी या गलती की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रभावित कर पाते.

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम साथ ही:

- वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकित करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारा मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है. धोखाधड़ी से उत्पन्न एक तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम गलती से उत्पन्न को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो कि सभी परिस्थितियों में उपयुक्त हो.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण.

- लेखांकन की कार्यशील संस्था के आधार के प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की समाथ्र्य पर संदेह बना सकती है. अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो अब तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्राप्त किए गए हैं. हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती है.

- संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, एवं क्या वित्तीय वितरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वह एक उचित प्रदर्शन हासिल करें.

वास्तविकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है जोकि, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संभावित बनाता है कि वित्तीय विवरणों के विवेकपूर्ण ज्ञानवान प्रयोगकर्ता के आर्थिक फैसले को प्रभावित किया जा सकता है. हम परिणात्मक वास्तविकता एवं गुणात्मक घटक का प्रयोग करते हैं i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एवं ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

अन्य मामलों के अलावा, हम लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों को गवर्नेंस के संबंध में उनसे संप्रेषण करते हैं.

हम गवर्नेस से प्रभारित को भी वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, एवं उनसे संप्रेषण करने के लिए सभी रिश्ते एवं अन्य मामले जिनके बारे में माना जाता है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, एवं सुरक्षोपाय संबंधी, जहां लागू है.

गवर्नेस से प्रभावित संपोषित मामलों से, हमने ऐसे मामलों को निर्धारित किया है जो कि वर्तमान अवधि की एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के सबसे अधिक महत्व के हैं एवं इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में लोक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या जब, अत्यधिक दुर्लभ मामलों में, हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हो.

अन्य मामले:

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में, निर्दिष्ट 3 सहायक कंपनियां एवं 2 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई एवं 1 सहयोगी, जिनके वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च, 2022 को कुल संपत्ति ₹ 7,38,99,114 (हजार में) एवं कुल राजस्व ₹1,42,06,742 (हजार में) एवं उसी

तारीख को समाप्त वर्ष में कर राशि के बाद शुद्ध लाभ ₹3,20,963 (हज़ार में), समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में हमारा मत यह है कि समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट राशि एवं प्रकटीकरण मात्र अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों में 2 सहायक एवं 1 संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी यथास्थिति 31 मार्च, 2022 को कुल संपत्ति ₹23,61,162 (हजार में), समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 5,66,826 (हज़ार में) समूह का हिस्सा एवं कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ ₹3,22,462 (हजार में) समूह के हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में निर्दिष्ट है. ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी हमें बैंक के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदान की गयी है एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्ण रूप से इस तरह की समीक्षा/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी पर आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के महत्व लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो समूह के समय के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है.

उक्त संदर्भित मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत एवं किए गए कार्य के संबंध में हमारा विश्वास तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें एवं अशोधित नहीं है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. ऊपर दिए गए पैरा 5 और 8 में इंगित ऑडिट की सीमा और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अधीन, सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बयान जैसा कि लागू सीमा तक "अन्य मामले" पैरा में उल्लेखित है और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी है और अन्य वित्तीय जानकारी हमारी लेखा परीक्षा एवं अलग-अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आवश्यक है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गई जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

बी) हमारे विचार से हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन, बैंक के अधिकार में किए गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण हमरी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा अब तक की विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, उन पुस्तकों की जांच से यह प्रतीत होता है कि हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन पर हमने दौरा नहीं किया है;

बी) समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाता बही के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिन पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है;

डी) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यह अपनी सीमा में है व आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं.109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान : मुंबई
दिनांक :13.05.2022

समेकित तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
पूंजी	1	**6,93,87,510**	**6,51,08,479**
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	63,92,23,739	58,22,69,299
अल्पमत हित	2ए	-	-
जमाराशियाँ	3	10,34,36,77,535	9,25,65,39,262
उधार	4	51,24,51,999	51,92,22,312
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	37,29,15,316	40,06,34,595
कुल		**11,93,76,56,099**	**10,82,37,73,947**
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	46,11,58,920	37,88,57,135
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	73,64,23,289	46,87,76,239
निवेश	8	3,51,83,90,437	3,39,05,85,059
अग्रिम	9	6,63,35,56,506	5,93,32,00,827
अचल आस्तियां	10	7,20,83,095	7,36,64,201
अन्य आस्तियां	11	51,60,43,852	57,86,90,486
समेकन पर साख		-	-
कुल		**11,93,76,56,099**	**10,82,37,73,947**
आकस्मिक देयताएं	12	6,51,14,68,340	3,71,78,14,658
संग्रहण के लिए बिल		66,08,94,128	34,69,48,137
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(डॉ. जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएनः 22023933AIXFNV8228

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं.109738
यूडीआईएनः 22109738AIXFFR2991

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएनः 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएनः 22423507AIXFXC6066

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएनः 22079225AIXFID6253

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएनः 22046940AIXFCS3650

स्थानः मुंबई
दिनांकः 13 मई, 2022

समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण		अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	68,22,96,573	69,31,14,562
	अन्य आय	14	13,52,44,131	14,30,67,228
	कुल		**81,75,40,704**	**83,61,81,790**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	40,17,84,651	44,11,23,988
	परिचालन व्यय	16	19,70,26,117	19,75,15,212
	प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		16,66,44,918	16,92,62,404
	कुल		**76,54,55,686**	**80,79,01,605**
III.	**सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ/(हानि)**		5,20,85,018	2,82,80,185
	जोड़ें : सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का अंश		5,68,187	3,53,803
	पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएँ):-अल्पमत हित		5,26,53,205 -	2,86,33,988 -
	वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ/(निवल हानि)		5,26,53,205	2,86,33,988
	जोड़े : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		35	35
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**5,26,53,240**	**2,86,34,023**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		1,31,93,989	73,35,683
	पूंजी आरक्षिति में अंतरण		1,22,12,675	90,01,837
	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरित		65,68,682	1,27,92,901
	राजस्व और अन्य आरक्षिति निधियों में अंतरण		24,71,838	(4,96,433)
	प्रस्तावित लाभांश		1,29,86,021	-
	विशेष आरक्षिति में अंतरण [आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(viii)]		52,20,000	-
	लाभ हानि लेखे में शेष		35	35
	कुल		**5,26,53,240**	**2,86,34,023**
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड (अंकित मूल्य रु.10)	18	7.77	4.47
	प्रमुख लेखा नीतियां	17		
	खातों से संबंधित नोट्स	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(डॉ. जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं.109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2022

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 1 – पूंजी :		
I. प्राधिकृत:		
रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रू.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :		
i. रू.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रू.10 प्रति शेयर की दर से 112,80,86,616 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 70,01,83,505 इक्विटी शेयर)	1,12,80,866	70,01,835
कुल	**6,83,47,475**	**6,40,68,444**
अनुसूची 1ए – सहायक कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर पूंजी :		
17 मई, 2018 को दाई ईची लाइफ होल्डिंग इंक को 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रति ₹ 10/- (यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा जारी) के 10,40,03,544 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय गैर - मोचनीय अधिमानित शेयर	10,40,035	10,40,035
कुल	**10,40,035**	**10,40,035**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 – आरक्षिति निधियां एवं अधिशेष :				
I. सांविधिक आरक्षिति:				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,36,27,665		12,62,91,983	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,31,93,989		73,35,682	
वर्ष के दौरान कमी	-	14,68,21,655	-	13,36,27,665
II. पूंजी आरक्षिति:				
ए) पूंजी आरक्षिति :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,67,20,564		3,77,18,727	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,22,12,675		90,01,837	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	5,89,33,239		**4,67,20,564**	
बी) **पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति:**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	4,89,84,778		4,99,77,701	
वर्ष के दौरान वृद्धि	79,200		40,444	
वर्ष के दौरान कमी	1493238		10,33,368	
	4,75,70,740		**4,89,84,777**	
सी) **समामेलन आरक्षिति**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	13,095,979		13,095,979	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	13,095,979	11,95,99,958	**13,095,979**	10,88,01,321

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
III. समेकन पर पूंजी आरक्षिति				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	6,63,498		6,63,498	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	2,42,147	4,21,351	-	6,63,498
IV. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	17,37,85,077		50,13,70,025	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,92,653		-	
वर्ष के दौरान कमी	50,870	18,39,26,860	32,75,84,947	17,37,85,077
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षिति :				
i) **राजस्व आरक्षिति :**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	9,53,58,032		8,20,08,797	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,36,44,810		2,60,02,442	
वर्ष के दौरान कमी	15,72,823		1,26,05,677	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
घटाएँ:- अल्पमत हित	-		-	
	10,74,30,020		9,54,05,562	
ii) **धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	5,50,78,789		5,50,78,789	
वर्ष के दौरान वृद्धि	52,20,000		-	
	6,02,98,789		5,50,78,789	
iii) **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	20,15,886		15,93,516	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,95,338		4,29,740	
वर्ष के दौरान कमी	10,37,597		9,044	
	12,73,628		20,14,212	
iv) **विशेष लाभ आरक्षिति/ नकदी प्रवाह हेज आरक्षिति**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	58,485		58,485	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		454	
वर्ष के दौरान कमी	-			
	58,485		58,939	
v) **निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति:**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1,27,92,901		41,300	
वर्ष के दौरान वृद्धि	65,68,682		1,27,92,901	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	1,93,61,583		1,28,34,201	
vi) **डिबेंचर मोचन आरक्षिति**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	31,375		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	31,375	18,84,53,880	-	16,53,91,703
VI. लाभ हानि खाते में शेष				
लाभ हानि खाते में शेष		35		35
कुल		**63,92,23,739**		**58,22,69,299**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 2 ए अल्पमत हित				
प्रारंभिक शेष		-		-
जोड़े/ (घटाएँ):- वर्ष के दौरान वृद्धि/ (घटाएँ)		-		-
कुल अल्पमत हित		**-**		**-**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 3 – जमाराशियां :				
I. **मांग जमाराशियां**				
i) बैंकों से	81,32,959		76,23,510	
ii) अन्य से	71,90,31,754	72,71,64,713	62,94,60,721	63,70,84,231
II. **बचत बैंक जमाराशियां**		3,04,57,69,582		2,71,99,65,042
III. **मीयादी जमाराशियां**				
i) बैंकों से	2,27,87,325		3,16,45,104	
ii) अन्य से	6,54,79,55,915	6,57,07,43,240	5,86,78,44,885	5,89,94,89,989
कुल		**10,34,36,77,535**		**9,25,65,39,262**
भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		10,31,96,69,265		9,21,47,62,722
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां		2,40,08,270		4,17,76,540
कुल		**10,34,36,77,535**		**9,25,65,39,262**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 4 – उधार :				
ए) **भारत में उधार**				
i. भारतीय रिजर्व बैंक	14,20,90,000		14,20,90,000	
ii. अन्य बैंक	1,98,28,213		1,40,33,310	
iii. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	3,02,20,231		2,78,19,964	
iv. शाश्वत बॉन्डस	8,70,50,000		7,10,50,000	
v. अधीनस्थ बॉन्डस	10,05,00,000		10,05,00,000	
vi. 7 वर्षीय इन्फ्रा बॉन्डस	-	37,96,88,444	50,01,000	36,04,94,274
बी) **भारत से बाहर उधार**		13,27,63,555		15,87,28,038
कुल		**51,24,51,999**		**51,92,22,312**
उपर्युक्त बी (I) एवं (II) में सम्मिलित प्रतिभूति उधार		**14,70,29,470**		**14,20,90,000**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :		
I. देय बिल	2,68,90,202	2,30,30,334
II. उपचित ब्याज	4,54,94,112	3,18,07,505
III. अन्य (प्रावधान सहित)*	30,05,31,002	34,57,96,756
कुल	**37,29,15,316**	**40,06,34,595**

*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित रु. 6,57,86,258 (पिछले वर्ष रु. 5,12,25,996)

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 6 –नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:		
I. धारित नकदी		
(विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)	3,78,48,706	3,78,64,974
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष		
i. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में	42,33,09,768	34,09,87,188
ii. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष अन्य खाते में	446	4,973
कुल	**46,11,58,920**	**37,88,57,135**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :		
I. **भारत में**		
i) बैंकों में शेष		
ए) चालू खातों में	24,07,403	58,71,512
बी) अन्य जमा खातों में	6,15,83,178	7,11,41,687
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
ए) बैंकों से	-	-
बी) अन्य संस्थाओं से	55,41,14,877	29,55,40,000
	61,81,05,458	**37,25,53,199**
II. **भारत के बाहर**		
i) चालू खातों में	33,72,152	27,17,626
ii) अन्य जमा खातों में	11,36,93,769	9,20,46,674
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	12,51,910	14,58,740
कुल	11,83,17,831	9,62,23,040
	73,64,23,289	**46,87,76,239**
अनुसूची 8 – निवेश:		
I. **भारत में निवेश**		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	2,65,82,89,693	2,42,56,14,461
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	58,64,924	1,60,14,875
iii) शेयरों में	2,62,42,463	3,27,94,407
iv) डिबेंचर एवं बांण्डस में	70,34,90,650	75,85,84,336
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों / एसोसिएट में	26,88,946	21,20,760
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)	10,05,44,011	13,41,76,368
कुल	**3,49,71,20,687**	**3,36,93,05,207**
II. **भारत से बाहर निवेश**		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1,85,57,542	1,87,83,099
ii) शेयरों में	6,810	9,450
iii) अन्य निवेश (बांण्डस में)	27,05,398	24,87,303
iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	-	-
कुल	**2,12,69,750**	**2,12,79,852**
कुल	**3,51,83,90,437**	**3,39,05,85,059**

(₹ 000' में)

विवरण			यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
III.	i)	**भारत में निवेश**		
		सकल मूल्य	35,58,61,12,295	3,43,15,59,994
		घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	61,491,607	62,254,787
		भारत में निवेश निवल मूल्य	**3,49,71,20,688**	**3,36,93,05,207**
	ii)	**भारत से बाहर निवेश**		
		सकल मूल्य	2,15,85,972	2,12,99,300
		घटाएं: मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	3,16,223	19,448
		भारत से बाहर निवेश निवल मूल्य	**2,12,69,749**	**2,12,79,852**
कुल			**3,51,83,90,437**	**3,39,05,85,059**

(₹ 000' में)

विवरण				यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 9 – अग्रिम (निवल)					
I	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल		3,87,31,665	4,11,53,857
	ii)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण		2,87,95,84,813	2,66,27,05,495
	iii)	मीयादी ऋण		3,71,52,40,028	3,22,93,41,475
		कुल		**6,63,35,56,506**	**5,93,32,00,827**
II	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)		5,36,44,78,377	5,09,22,54,335
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत		13,07,52,505	16,55,89,292
	iii)	अप्रतिभूत		1,13,83,25,624	67,53,57,201
	कुल			**6,63,35,56,506**	**5,93,32,00,828**
ए.	**भारत में अग्रिम:**				
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		2,59,52,39,457	2,52,92,91,622
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र		72,72,96,155	61,06,29,459
	iii)	बैंक		2,22,975	3,07,310
	iv)	अन्य		3,13,83,22,359	2,62,94,41,664
	कुल			**6,46,10,80,946**	**5,76,96,70,055**
बी.	**भारत के बाहर अग्रिम:**				
	i)	बैंकों से प्राप्य		5,45,65,135	3,47,68,977
	ii)	अन्य से प्राप्य			
		ए)	खरीदे एवं भूनाए गए बिल	12,32,802	36,979
		बी)	सिंडीकेटेड ऋण	5,47,141	11,83,093
		सी)	अन्य	11,61,30,482	12,75,41,723
				17,24,75,560	**16,35,30,772**
	कुल			**6,63,35,56,506**	**5,93,32,00,827**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022		यथा 31 मार्च, 2021	
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	8,16,49,772		8,09,95,477	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,12,275		7,17,393	
वर्ष के दौरान कमी	12,79,323		4,738	
	8,09,82,724		8,17,08,132	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,64,08,228	5,45,74,496	2,49,42,252	5,67,65,880
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	6,30,768		5,96,816	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,87,638		2,18,977	
वर्ष के दौरान कमी	4,48,273	3,70,133	1,82,517	6,33,276
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	12,45,683		12,45,683	
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुनर्मूल्यांकन सहित)	13,08,678		-	
वर्ष के दौरान कमी	55,725		-	
	24,98,636		12,45,683	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	4,52,022	20,46,614	78,385	11,67,298
IV. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गयीं आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	2,68,478		2,68,478	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	2,68,478		2,68,478	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	2,68,478	0	2,68,478	0
बी. अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	6,49,59,025		6,25,93,795	
वर्ष के दौरान वृद्धि	49,20,419		35,32,456	
वर्ष के दौरान कमी	8,19,609		9,93,375	
	6,90,59,835		6,51,32,876	
घटाएं: आज की तारीख तक अवमूल्यन	5,63,82,534	1,26,77,301	5,30,38,569	1,20,94,307
बी. अमूर्त आस्तियां				
(i) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,14,93,797		89,51,793	
वर्ष के दौरान वृद्धि	9,10,278		27,20,989	
वर्ष के दौरान कमी	29,870		9,256	
	1,23,74,205		1,16,63,526	
आज की तारीख तक परिशोधित	99,59,654	24,14,551	86,60,085	30,03,441
कुल		**7,20,83,095**		**7,36,64,201**

(₹ 000' में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2022	यथा 31 मार्च, 2021
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :		
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	1,79,97,046	7,34,01,772
II. उपचित ब्याज	7,77,68,178	6,16,79,664
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(निवल प्रावधान)	5,41,13,751	6,63,96,665
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	63,349	68,176
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	1,334	1,238
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12,29,53,434	15,67,50,030
VII. एमएटी क्रेडिट	2,96,94,268	1,19,72,569
VIII. अन्य	21,34,52,492	20,84,20,372
कुल	**51,60,43,852**	**57,86,90,486**
अनुसूची 12 – संभाव्य देयताएं :		
I. बैंक के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,32,70,455	3,73,28,046
II. अंशतों प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	-	41,578
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	4,37,12,08,481	2,30,09,22,075
IV. संघटकों की ओर दी गयी गारंटी		
i) भारत में	65,35,08,697	66,32,75,681
ii) भारत से बाहर	1,65,87,098	1,35,04,434
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	1,26,99,57,903	52,14,77,693
VI. संभाव्य देयताओं की अन्य मदें	-	3,95,261
VII. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	13,81,64,819	15,71,17,481
VIII. डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	2,87,70,887	2,37,52,409
कुल	**6,51,14,68,340**	**3,71,78,14,658**

समेकित लाभ एवं हानि खाते के भाग के रूप में अनूसुचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ 000' में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	45,29,33,293	45,83,44,668
II. निवेशों से आय	20,15,94,684	21,03,54,155
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	2,14,39,537	1,61,06,390
IV. अन्य	63,29,059	83,09,349
कुल	**68,22,96,573**	**69,31,14,562**
अनूसूची 14 – अन्य आय :		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1,71,90,485	1,21,60,225
II. निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	3,52,44,503	4,32,96,427
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	(13,43,760)	40,76,402
IV. स्थायी आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि - (निवल)	(3,489)	2,05,851
V. विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	60,83,678	43,40,878
VI. ए) पट्टा वित्त आय	-	-
बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क	-	-
सी) अतिदेय शुल्क	-	-
डी) प्राप्य पट्टा किराया पर ब्याज	-	-
VII. विविध आय	7,80,72,713	7,89,87,445
कुल	**13,52,44,131**	**14,30,67,228**
अनूसूची 15 –व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	37,47,18,766	40,83,59,049
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	1,05,60,975	1,49,23,543
III. अन्य	1,65,04,910	1,78,41,396
कुल	**40,17,84,651**	**44,11,23,988**
अनूसूची 16 – परिचालन व्यय :		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	10,26,36,661	9,49,10,217
II. किराया, कर और बिजली	1,08,29,331	1,12,06,349
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	9,75,941	9,30,033
IV. विज्ञापन और प्रचार	6,94,846	7,18,677
V. ए) पट्टा आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	74,48,149	90,81,502
बी) पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	48,608	59,706
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,70,847	10,94,891
VIII. विधि प्रभार	15,25,868	13,66,141
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	31,25,474	23,36,294
X. मरम्मत एवं रखरखाव	33,75,669	36,62,617
XI. बीमा	1,16,58,849	1,20,98,687
XII. साख पर परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	5,40,35,874	6,00,50,099
कुल	**19,70,26,117**	**19,75,15,212**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित) : अनुसूची 17

1 प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हों, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं. इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, गोइंग कंसर्न अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एएस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति और सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से जाना जाता है.

3. समेकन का आधार

ए) बैंक की 5 सहायक कंपनियां, 3 संयुक्त उद्यम और 1 सहयोगी इकाई है. इसकी जानकारी निम्नानुसार है : -

क्र.	प्रकृति	इकाई	स्टेक
1	सहायक कंपनी	यूबीआई एएमसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
2	सहायक कंपनी	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	100%
3	सहायक कंपनी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	100%
4	सहायक कंपनी	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	100%
5	सहायक कंपनी	यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	100%
6	संयुक्त उद्यम	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	25.10%
7	संयुक्त उद्यम	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	26.02%
8	संयुक्त उद्यम	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	25.00%
9	सहयोगी इकाई	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	35%

समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर बनाया गया है:

1) मूल बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

2) **सहायक कंपनियों का समेकन :** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण पर एएस-21 के क्रम में अंतर-समूह संव्यवहारों, अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात, मुख्य बैंक संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों के आय / व्यय / आस्तियों / देयतायों के पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकत्रीकरण करेंगे.

3) **एसोसिएट्स का समेकन:** एसोसिएट में निवेश इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन से संबंधित मानक लेखांकन - 23 के अनुसार, इक्विटी पद्धति के आधार पर समेकन हेतु लेखांकित किया गया है.

4) **संयुक्त उपक्रम का समेकन:** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी संयुक्त उपक्रम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग का मानक लेखांकन- 27 के अनुसार संयुक्त उद्यम में आनुपातिक शेयर का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक द्वारा पालन किए गए भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, लेखांकन समायोजन बढ़ रहे हैं और एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम की व्यवहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां प्राप्त नहीं हुई.

सी) सहायकों में निवेश के समूह की लागत एवं सहायकों में इक्विटी के मुख्य भाग के बीच के अंतर को सीएफएस में साख/ पूंजी रिजर्व, जैसा भी मामला हो के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायक कंपनी के शुद्ध परिसम्पत्तियों में निम्न अल्प संख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक कंपनी में किए गए निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक को स्त्रोतजन्य इक्विटी की राशि

ii) मूल सहायक कंपनी का संबंध आस्तित्व में आए दिनांक से, राजस्व रिजर्व / हानि में अल्पसंख्यक शेयरों में गतिविधि एवं इक्विटी.

iii) अल्पसंख्यक को लागू आधिक्य एवं कोई अग्रतर हानि, को बहुसंख्यक हित के सापेक्ष केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहां अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी दायित्व है, और नुक़सानों में अच्छा कर सकता है.

4 राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. गत वर्ष में दर्ज की गई आय और वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत आस्तियां के संबंध में शेष अप्राप्ति की मान्यता समाप्त कर दी गई है.

iii) गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की गई है.

iv) विनिमय एवं ब्रोकरेज अर्जित, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय, न्यूनतम जमाशेष आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

v) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए लेखांकन किया गया है.

vi) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की बिक्री का लेखांकन किया गया है.

viii) आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर रिफ़ंड पर ब्याज की गणना की जाती है.

बी) गैर – बैंकिंग संस्था

जीवन बीमा

i) **प्रीमियम आय**

प्रीमियम (जीएसटी निवल) जब देय है, तब आय के रुप में मान्य है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की जाती है, तब प्रीमियम के रुप में मान्य है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया जाता है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना जाता है, जब पॉलिसियां पुनर्स्थापित हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया जाता है, जब पुनर्बीमा प्रीमियम के रुप में परिवर्तित किया गया है.

ii) **लिंक्ड फंड से आय**

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल है, को जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड कोष से वसूल किया गया है.

iii) **पुनर्बीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते या पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) **लाभों का भुगतान (दावों सहित)**

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है, शामिल है, के लिए मृत्यु, राइडर व समर्पण

दावों की सूचना प्राप्त होने पर गणना की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों की देय होने पर गणना की गई है. एसोसिएट यूनिट्स निरस्त होने पर लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण की संबंधित योजना में गणना की जाती है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावें हैं.

v) **अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागतें ऐसी लागतें हैं जिसमें परिवर्तन जारी रहता है और जो प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित हैं एवं उसी अवधि में खर्च किए गए हैं, जिस अवधि से संबंधित है.

vi) **जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता**

जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता आस्तित्व में है, का निर्धारण नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरिस ऑफ इंडिया के अनुसार किया गया है.

आस्ति प्रबंधन

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्युचुअल फण्ड योजनाओं (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्युचुअल फण्ड) विनियम, 1996 और उसके पश्चात कोई संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की पहचान ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर की गई है.

iii) ब्याज उपचित आय की पहचान समयानुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

5 निवेश

i) **वर्गीकरण**

बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप "ए" की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र डीओआर. एमआरजी.42/21.04.141/201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) **मूल्यांकन का आधार**

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर : अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में अस्थायी के अलावा ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

ई) "एएफएस" व "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप्ट वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, यदि है, तो लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हों, को अनदेखा किया गया है.

एफ़) अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ)	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए/ एफ़बीआईएल) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए/ एफ़बीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर, रु.1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर ब्रेक-अप मूल्य की गणना की जाए.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/ एफ़बीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/ बॉन्ड्स	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए/ एफ़बीआईएल के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ़	म्युचुअल फंड (एमएफ़)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो रु.1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के धारित(एचएफ़टी) से परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस)/ट्रेडिंग के लिए धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध(एएफ़एस) से ट्रेडिंग के लिये धारित(एचएफ़टी) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि एवं निवेश की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित ("एचटीएम") श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल एवं प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर माना जाएगा.

ix) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

ए) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है, सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों या देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य या लागत से कम या बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

बी) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (लाभ यदि कोई है, को अनदेखा किया जाए).

सी) विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र डीओआर.नं.एसटीआर. आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. विदेशी शाखाओं में स्थित अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त हो लागू होंगे.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन अग्रिमों के उचित मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं और प्रावधानों" में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

iv) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाएगा.

v) छह महीने से अधिक समय से बकाया उचंत खातों की प्रविष्टियों पर प्रावधान 100% किया गया है, सिवाय सरकार/ सरकारी निकायों से प्राप्त दावे जैसे फसल ऋण पर ब्याज अनुदान/निर्यात अग्रिम, पेंशन आदि को छोड़कर.

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i) परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों को, लागत रहित संचित मूल्यह्रास कहा गया जैसा कि हानि के लिए समायोजित किया गया है, यदि कोई है. लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और परिसंपति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लागत कम व्यापार छूट और रिबेट शामिल है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है और "संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण" पर संशोधित लेखा मानक-10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा. .

ii) बैंक की व्यय नीति में समय समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है. मूल्यह्रास की लागू दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	पूंजी आस्ति	उपयोग हेतु वर्ष (वर्ष)	प्रतिशत में दर
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यह्रास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लांट (पैकेज एवं जल/ वातानुकूलित डक्टेबल)	10	10.00
6	स्प्लिट एवं विंडो एयर वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन जिसमें पावर बैट्री सहित या ईधन सेल संचालित वाहन शामिल है.	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के एकीकृत भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	3	33.33
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टैब्लेट प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ियाँ आदि	3	33.33

iii) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

iv) पट्टे पर ली गई आस्तियां तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर स्ट्रेट-लाइन के आधार पर लगाया गया है.

v) देश के बाहर स्थित अचल आस्तियों एवं सहायक कंपनी/एसोसियेट्स की अचल सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

9. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

काउंटर साइक्लिक बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग

अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है. काउंटर साइक्लिक प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाइयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर लिया गया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गई हैं.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

v) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और "अंतरिम" परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी) गैर - एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा आकस्मिक देयताओं बकाया का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नही की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

12. कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है.

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. <u>निर्धारित अंशदान योजनाएं:</u>

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई

भत्ता के 10% का अंशदान तथा बैंक द्वारा 14% का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

ii. निर्धारित लाभ योजना:

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

13. खंड-वार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 "खडं-वार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक ने कारोबार संवर्ग को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में माना है. कारोबार खंड को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

13.1 ट्रेजरी परिचालन,
13.2 कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,
13.3 रिटेल बैंकिंग परिचालन और
13.4 अन्य बैंकिंग परिचालन में

14. लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/ किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/ नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/ लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय माना जाता है.

15. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है, जो किया जाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम का अनुबंध अथवा परिवर्तित किया गया था. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या और बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की जाती है.

16. कराधान

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एएस -22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतराल के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर कर नियमों के अनुसार वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियों एवं अस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं स्थापित कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक "उचित निश्चितता" न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थिगत कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यह्रास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों. ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नही की गयी है, क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स (समेकित)

1. बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, वे निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2022 को पैरेंट के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%
आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	100%
यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	भारत	100%

2. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त उपक्रम के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-बैंकिंग)	भारत	25.10%
एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद	भारत	25.00%

3. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:

एसोसिएट का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2022 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹1492.32 करोड़ रहा, जिसे दीर्घावधि निवेश के रूप में माना गया है.

4. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका उपयोग समेकन के लिए किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2022, तक के हैं.

5. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड और आंध्रा बैंक फ़िनाशियल सर्विसेज लिमिटेड और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं.

6. वर्ष के दौरान, बैंक ने इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने 21% निवेश को बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्निहित कर दिया है. परिणामस्वरूप, बैंक की शेयर धारिता 30% से 9% तक कम हो गयी है एवं तदनुसार बैंक के सीएफ़एस में दिनांक 31.03.2022 को इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया है.

7. निरंतर आधार पर उचंत खातों, विविध जमाराशि, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा / कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है. उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

8. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

8.1 ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 1 अक्तूबर, 2021 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2021 से बासल III का सम्पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2022 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 8.00% (2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 9.50% तक बनाए रखना आवश्यक है.

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा दिनांक 21 मई, 2021 को आहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन के तहत 42,79,03,111 अतिरिक्त इक्विटि शेयर जारी किया गया है, जिससे बैंक ने रुपये 1,447.17 करोड़ की राशि जुटाई है. तदनुसार बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता दिनांक 31 मार्च, 2021 को, 89.07% के सापेक्ष कम होकर 83.49% तक हो गयी है. इसके अलावा, बैंक ने बासल III अनुपालन में खंडवार रुपये 2,000 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 5,000 करोड़ की टीयर-1 जारी किया है और बासल III अनुपालन में मोचन (रिडम्पशन) हेतु रुपये 2,000 करोड़ की टीयर-2 बॉन्ड एवं अतिरिक्त रुपये 3,400 करोड़ की टीयर-1 बॉन्ड के लिए कॉल विकल्प का अभ्यास प्रारम्भ किया है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूंजी एवं आरक्षित (निवल कटौती, यदि कोई हो)	58,205.98	50,133.85
ii.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी / अन्य टीयर 1 पूंजी	8,539.83	7,105.00
iii.	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	66,745.81	57,238.85
iv.	टीयर 2 पूंजी	12,692.32	12,185.77
v.	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	79,438.12	69,424.62
vi.	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	5,48,469.51	5,54,434.89
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)/ आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर एवं आरक्षित	10.61	9.04
viii.	टीयर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	12.17	10.32
ix.	टीयर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.31	2.20
x.	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.48	12.52
xi.	लीवरेज अनुपात	5.17	4.82
xii.	शेयर धारिता का प्रतिशत ए) भारत सरकार बी) राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) सी) स्पोंसर बैंक	83.49	89.07
xiii.	वर्ष के दौरान प्रदत्त इक्विटि पूंजी के माध्यम से जुटाई गयी राशि	1,447.17	-
xiv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि जिसमें: ए) बासल III अनुपालन शाश्वत गैर संचयी अधिमान शेयर बी) बासल III अनुपालन स्थायी/ बेमियादी कर्ज लिखत	 -- 5,000.00	 -- 1,705.00
xv.	वर्ष के दौरान जुटाई गयी टीयर 2 पूंजी की राशि जिसमें ए) शाश्वत गैर संचयी अधिमानी शेयर बी) प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर सी) बासल III अनुपालन कर्ज लिखत	 -- -- 2,000.00	 -- -- 2,000.00

8.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप:	31.03.2022	31.03.2021
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	200.48	839.74
एनपीए के लिए प्रावधान	11,931.44	13,733.74
सामंजस्य के लिए प्रावधान	--	323.86
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	1,451.35	1,246.34
आयकर / आस्थगित कर के लिए प्रावधान	3,357.84	(500.84)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:	(276.62)	1,283.40
योग	**16,664.49**	16,926.24

8.3 काउंटर साईक्लिकल प्रावधान बफ़र / फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	प्रारंभिक शेष	306.20	306.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	306.20	शून्य
iv)	लेखाबंदी शेष	शून्य	306.20

9 कर्मचारी लाभ (एएस 15 – संशोधित) (मूल बैंक)

i) अल्पावधि रोजगार के लाभ:

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूट रहित राशि को अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान मान्य होती है, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की थी.

ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

ए. निश्चित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है. इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है. कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है. बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है.

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है. यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है. एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी को नियुक्त किया गया है. वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 120.35 करोड़ एरियर सहित रु. 501.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 297.92 करोड़) का अंशदान किया है.

बी) निश्चित लाभ योजना:

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं. इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है. एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है.

निश्चित लाभ योजना – कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है.

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
i)	**परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाती तालिका:**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,355.82	26,011.41	2,738.03	24,553.31
	ब्याज लागत	232.56	1,797.39	187.28	1,667.17
	चालू सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	1902.02	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि- परिवर्तन के कारण				
	वित्तीय धारणा में	(119.57)	(1,446.34)	शून्य	शून्य
	जनांकिक धारणा में	2.86	63.46	(26.36)	(247.67)
	बाध्यताओं पर बिमांकिक (अर्जन)/ हानि	30.86	2,452.27	752.31	1,456.27
	वर्ष के अंत में देयताएं	3,197.81	28,650.99	3,355.82	26,011.41
ii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी::**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य योजना	2,746.43	26,720.88	2,671.12	23,145.31
	आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	190.33	1846.41	182.70	1,571.57
	अंशदान	843.37	551.42	291.35	3,605.19
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(465.84)	(2,341.52)	(433.15)	(1,682.84)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	27,043.50	2,746.43	26,720.88
	अवधि के लिए बाध्यताओं पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(85.85)	1,069.39	725.95	1,208.60
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(53.31)	(266.31)	(34.41)	(81.65)
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/ (हानि	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
iii)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान:**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	190.33	1,846.41	182.70	1,571.57
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	53.31	266.31	34.41	81.65
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	243.64	2112.72	217.11	1,653.22
v)	**आय विवरण में चिन्हित व्यय :**				
	वर्तमान सेवा लागत	161.12	212.30	137.71	265.17
	ब्याज लागत	42.23	(49.02)	4.58	95.60
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (बढ़ी हुयी फॅमिली पेंशन का 1/5)	शून्य	380.40	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (अर्जन) या हानि	(139.16)	803.08	691.54	1,126.95
	लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	609.39	(709.47)	66.91	1,408.00
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	64.19	1346.76	833.83	1,487.72
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(843.37)	(551.42)	(291.35)	(3,605.19)
	तुलन-पत्र में शुद्ध (आस्ति)/देयता चिन्हित राशि	(169.79)	85.87	609.39	(709.47)
vii)	**अन्य विवरण :**				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है.				
	उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	75,201	23,216	78203	28235
	वेतन प्रति माह	354.44	182.95	354.09	210.64
	आगामी वर्ष के लिए अंशदान	--	592.76	354.09	--
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	63.45	585.14	64.56	601.59
	कॉर्पोरेट बांड/एफ़डीआर	36.15	721.81	96.29	1029.07
	विशेष जमा योजना	--	--	--	--
	राज्य सरकार	101.17	1185.78	125.89	1150.74
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	244.10	1733.36	185.67	1,426.35
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,897.20	22,492.80	2,252.98	22,235.49
	म्यूचुअल फंड	25.53	324.61	21.04	277.64
	योग	**3,367.60***	**27,043.50***	**2,746.43**	**26,720.88**

* नोट : वित्तीय वर्ष 2020-21 के पेंशन एवं उपदान जो 7.00% माना गया था, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपादान देयताएं का उचित मूल्य और पेंशन देयताएं 7.00% निर्धारित करने के लिए, एलआईसी एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर रिटर्न को 7.25% माना गया है.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	**उपदान योजना**				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***	**31.03.19***	**31.03.18***
वर्ष के अंत में देयता	3,197.81	3,355.82	1291.94	1,222.64	1,244.88
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,367.60	2,746.43	1219.01	1,202.14	1,302.00
अंतर	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	169.79	(609.39)	(72.93)	(20.50)	57.12

* यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***	**31.03.19***	**31.03.18***
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	30.86	752.31	25.87	7.91	(142.26)
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	53.31	34.41	7.20	(13.03)	10.64

* यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन योजना				
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	**31.03.22**	**31.03.21**	**31.03.20***	**31.03.19***	**31.03.18***
वर्ष के अंत में देयताएं	28,650.99	26,011.41	12,746.69	12,158.43	11,803.32
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	27,043.50	26,720.88	12,607.16	12,308.84	12,115.00
अंतर	(1,607.49)	709.47	(139.53)	150.41	311.68
पहचान न की गई पूर्व सेवा लागत	1521.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	(85.87)	709.47	(139.53)	150.41	311.68

* यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.22	**31.03.21**	**31.03.20***	**31.03.19***	**31.03.18***
अनुभव समायोजन					
योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि	2,452.27	1,456.27	938.90	125.22	(37.82)
योजनागत आस्तियों (हानि) /लाभ	266.31	81.65	75.23	7.18	(21.39)

* यूबीआई स्टैंडअलोन हेतु उल्लिखित राशि

मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2021-22		2020-21	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
पिछली छूट दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.93	6.91	6.84	6.79
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
वर्तमान छूट दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.31	7.40	6.93	6.91
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

i) **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालिक अवधि कर्मचारी लाभ हेतु तैयार किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	31.03.2022	31.03.2021
1.	पेंशन	1,346.76	1,487.72
2.	अवकाश किराया रियायत	13.41	27.45
3.	अवकाश नकदीकरण	48.70	102.29

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए रु. 236.12 करोड़ का प्रावधान किया है, हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

ii) **फॅमिली पेंशन एवं उपदान देयताएं अपरिशोधित :**

		31.03.2022	31.03.2021
पेंशन			
ए)	पूर्ववर्ती शेष राशि	शून्य	शून्य
बी)	सकल देयताएं	1,902.02	शून्य
सी)	लाभ एवं हानि पर प्रभार	380.40	शून्य
डी)	अग्रेषित शेष राशि	1,521.62	शून्य
उपदान			
ए)	लाभ एवं हानि पर प्रभार	शून्य	शून्य
बी)	अग्रेषित	शून्य	शून्य

ई. 11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय समझौता और संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 1902.02 करोड़ रुपये आ गई है. इसके अलावा, आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार, बैंकों को उक्त देयता को 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधित करने की अनुमति है, जिसका प्रारम्भ दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष होगी. तदनुसार, बैंक ने उक्त देयता को 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित करने का विकल्प चुना है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में 380.40 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क लिया है और शेष 1,521.62 करोड़ रुपये के असंशोधित व्यय को अगले 4 वर्षों में परिशोधन के लिए आगे बढ़ाया गया. यदि परिशोधन रहित व्यय को लाभ या हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी गई है, तो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 3,743.70 करोड़ रुपये होगा.

10. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1. कारोबार क्षेत्र (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेजरी परिचालन	26,815.66	27,789.92
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	26,198.04	24,817.48
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	25,776.79	26,541.51
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	1,397.64	1,371.55
5	गैर आबंटित	1,688.64	3,240.26
	कुल क्षेत्रवार राजस्व	81,876.77	83,760.72
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व	(122.70)	(142.54)
	परिचालन से आय	81,754.07	83,618.18
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**		
1	ट्रेजरी परिचालन	6,002.74	6,157.83
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,508.68	4,197.57
3	कॉर्पोरेट बैंकिंग	(3,093.72)	(8,823.12)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	758.37	733.23
5	गैर आबंटित	390.27	61.67
	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	**8,566.34**	**2,327.18**
(सी)	**कर हेतु प्रावधान**	3,357.84	(500.84)
(डी)	**कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)**	5,208.50	2,828.02
	जोड़ाः एसोसिएट में लाभ का शेयर	56.82	35.38
(ई)	**समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)**	5,265.32	2,863.40

क्र. सं.	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		समाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2022	31.03.2021
(एफ़)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,78,735.97	4,27,941.43
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,18,913.60	2,77,171.79
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,68,181.73	3,41,941.30
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित	27,934.31	35,322.87
	कुल	**11,93,765.61**	**10,82,377.39**
(जी)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेजरी परिचालन	4,70,252.54	4,19,807.14
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	2,90,449.81	2,53,344.66
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	3,35,313.11	3,10,531.92
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित	26,889.03	33,955.90
	कुल	**11,22,904.49**	**10,17,639.62**
(एच)	**नियोजित पूंजी**		
1	ट्रेजरी परिचालन	8,483.43	8,134.29
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	28,463.79	23,827.13
3	कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	32,868.62	31,409.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	--	--
5	गैर आबंटित देयताएं	1,045.28	1,366.97
	कुल	**70,861.12**	**64,737.77**

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रावार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस -17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं.

3. बैंक ने तिमाही के दौरान अपनी एक संयुक्त उद्यम इकाई में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है (कृपया ऊपर उल्लिखित नोट संख्या 6 देखें). इसलिए आंकड़े उस हद तक तुलनीय नहीं हैं.

11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस–18)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

बी. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

सी. एसोसिएट

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.37
श्री गोपाल सिंह गुसाईं @	कार्यपालक निदेशक	0.26
श्री दिनेश कुमार गर्ग*	कार्यपालक निदेशक	0.15
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	0.31
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.30
श्री रजनीश कर्नाटक#	कार्यपालक निदेशक	0.14
श्री निधु सक्सेना^	कार्यपालक निदेशक	0.05

@ 31.01.2022 तक
* 30.09.2021 तक
# 21.10.2021 से
^ 01.02.2022 से

ई) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – भुगतान की गई पारिश्रमिक राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
	राशि	राशि
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	0.37	0.34
कार्यपालक निदेशक	1.21	1.11
कुल	**1.58**	**1.45**

पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	640,68,44,355	640,68,44,355
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	42,79,03,111	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	640,68,44,355
मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर की भारित औसतन संख्या	6,77,26,13,590	640,68,44,355
विघटित अर्जन प्रति शेयर की गणना में प्रयोग किए जाने वाले शेयर की भारित औसतन संख्या	6,77,26,13,590	640,68,44,355
निवल लाभ/ (हानि) रुपए करोड़ में	5,265.32	2,863.40
मूल अर्जन प्रति शेयर (रु)	7.77	4.47
विघटित अर्जन प्रति शेयर (रु)	7.77	4.47
मौद्रिक मूल्य प्रति शेयर (रु)	10	10

13. करों के लिये प्रावधान:

आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां			
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	474.78	457.76
2	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	358.12	298.39
3	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,072.58	18,156.51
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष	1.14	36.50
5	मानक आस्तियां	588.37	--
6	अन्य	0.07	
	कुल	**15,495.05**	**18,949.16**
12 आस्थगित कर देयताएं			
1	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	1,092.63	1,104.51
2	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	2,107.08	1,924.67
3	निवेश पर मूल्यह्रास	--	237.86
	योग	**3,199.71**	**3,267.04**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**12,295.34**	**15,682.12**
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**शून्य**	**शून्य**

14. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकन वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

16. कोविड - 19 महामारी के प्रकोप ने भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व भर की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भी, भारत ने कोविड -19 महामारी की दो और लहरें देखीं और देश के कुछ हिस्सों में स्थानीय / क्षेत्रीय लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया गया. बैंक निरंतर स्थिति की निगरानी कर रहा है और ग्राहकों तक पहुंच और पूर्ण बैंकिंग परिचालन को जारी रखने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों सहित सभी संभव उपाय कर रहा है. बैंक, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों और कदमों को ध्यान में रखते हुए और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति के साथ, प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में बैंक के कार्यनिष्पादन और संबंधित अनुमानों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

17. बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के तरीके को बदल दिया है (उन खातों के अलावा जहां विनियोजन की विधि विशेष रूप से उधारकर्ता और बैंक के बीच सहमत हुई है). तदनुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूली अब पहले ब्याज के लिए और फिर मूलधन की ओर विनियोजित की जाती है, जैसा कि पूर्व में यह रिवर्स प्रक्रिया इसके विपरीत था। लेखांकन नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप तिमाही के लिए ब्याज आय में 495.26 करोड़ रुपये और वर्ष के लिए 1,081.77 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप सकल एनपीए में समतुल्य राशि की कमी नहीं हुई है.

18. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक
(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक
(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)
निदेशक
(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक
(डॉ. जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक
(प्रीति जय राव)
निदेशक

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं.109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	8,56,634	2,32,677
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	73,809	90,815
	निवेशों के लिए प्रावधान	20,048	55,624
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	11,62,524	14,05,760
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,36,754	1,37,588
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	-	86,605
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	11,339	16,367
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	35	(2,059)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	1,55,133	1,59,660
	एसोसिएट में लाभ का शेयर	5,682	3,538
	उप योग	**24,21,959**	**21,86,576**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,08,71,383	55,20,773
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(5,55,146)	6,26,592
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(12,92,420)	(53,44,849)
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(81,66,081)	(4,89,586)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	3,45,116	(5,84,957)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(54,388)	(22,864)
	आरक्षित से/में अंतरण	63,465	1,61,050
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**36,33,888**	**20,52,734**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(74,953)	(71,898)
	अचल आस्तियों की बिक्री/समायोजन के आगम	30,788	11,789
	सहायक कंपनी के निवेश में (बढ़ोतरी) / कमी	(11,606)	
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(55,771)**	**(60,109)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह::**		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित सहायक कंपनियों के अधिमानित शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	-	-
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	1,44,209	3,70,500
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	7,00,000	
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	(5,40,000)	(3,85,000)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(2,27,704)	(17,11,906)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(1,55,133)	(1,59,660)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**(78,628)**	**(18,86,066)**
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	34,99,488	1,06,559
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,76,334	55,57,753
	समामेलन पर प्राप्त नकदी एवं नकदी समकक्ष	-	28,12,022
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	1,19,75,822	84,76,334
	नकदी एवं नकदी समकक्ष के घटक		

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष**	**01.04.2021**	**01.04.2020**
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	37,88,571	20,11,892
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	46,87,762	35,12,987
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	84,76,334	55,24,879
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	46,11,589	37,88,571
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	73,64,233	46,87,762
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**1,19,75,822**	**84,76,334**

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक

(प्रफुल्ल कुमार सामल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(निधु सक्सेना)
कार्यपालक निदेशक

(रजनीश कर्नाटक)
कार्यपालक निदेशक

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(समीर शुक्ला)
निदेशक

(अरुण कुमार सिंह)
निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)
निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)
निदेशक

(डॉ. जयदेव मदुगुला)
निदेशक

(प्रीति जय राव)
निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 "नकदीप्रवाह विवरण" के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 13 मई, 2022 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के समेकित लाभ हानि खाते तथा समेकित तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा & पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं.023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFNV8228

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं.109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFFR2991

सीए सचिन वी लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFLG9220

कृते मेसर्स पी वी ए आर & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 002803C

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFXC6066

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFID6253

सीए प्रदीप जे. शेट्टी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXFCS3650

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022